

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 79 2022 तारीख दायर 22/12/22 दिनांक निर्णय 30/12/22

JCMS No - 2022 / 76

उनवान

रिपोर्ट पटवारी हलका मजेडा बनाम बाबूलाल शं. लट्टा कौम
मीना मिवासी मजेडा

आज पत्रावली मु. राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 206 2019 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल बाबूलाल शं. लट्टा पुत्र चुन्ना राम शं. मूल चरु
जाति मीना निवासी मजेडा को
आराजी खसरा नं. 132 रकबा 0.63 ई. किस्म चरु वाके ग्राम मजेडा

से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 6.75 की 50 गुणा में मु. 338 200 कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 01 पर जो पं. 338/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
राजगढ़ (अलवर)